भारतीय भाषा परिवार और राष्ट्रीय एकता

महादेवी गुरव

प्राध्यापक, हिंदी विभाग, के एल ई जी आई बागेवाडी महाविद्यालय, निपाणी, कर्नाटक.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18330639

ABSTRACT:

प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय भाषा परिवारों और राष्ट्रीय एकता के अटूट संबंधों का विवेचन किया गया है। लेखिका ने रेखांकित किया है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन न होकर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की संवाहक है। इसमें हिंदी को संपर्क एवं राजभाषा के रूप में देश को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। आलेख में संवैधानिक प्रावधानों, त्रि-भाषा सूत्र, तकनीकी अनुवाद और साहित्य (विशेषकर रामकथा और जयशंकर प्रसाद के साहित्य) की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। निष्कर्षतः, यह लेख सिद्ध करता है कि भारत की 'अनेकता में एकता' की अवधारणा को सशक्त बनाने में भाषाई समन्वय और साहित्यिक परंपराओं का योगदान सर्वोपरि है।

KEYWORDS:

राष्ट्रीय एकता, भारतीय भाषा परिवार, हिंदी, सांस्कृतिक समन्वय, भाषाई विविधता.

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" की भावना भारत में आरंभ से ही मिलती है। विष्णु पुराण में कहा गया है- "गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारतभूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवंति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्"। (अर्थात: भारत भूमि में जन्म लेनेवाले धन्य हैं। देवता भी उनका गुणगान करते हैं। भारत ऐसी भूमि है जहाँ जन्म लेने से स्वर्ग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। भारतवासी स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं, भारतीयों के लिए यह भूमि जन्मभूमि, पुण्यभूमि, मातृभूमि तथा स्वर्गभूमि सभी कुछ है।) भारत की पावन मातृभूमि की श्रेष्ठता विश्व में प्रचलित है।

भाषा का महत्व:

भाषा मानव की भावनाओं, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक प्रभावी साधन है। भाषा, संस्कृति और समाज आपस में इतने घनिष्ठ रूप

से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बिना समाज को पहचानना मुश्किल है। इसमें भाषायी एकता हमें राष्ट्रीयता का बोध कराती है। विभिन्न भाषाओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाता है। भारतीय संस्कृति ने विश्व की संस्कृति का मार्गदर्शन किया है। जैसे तुलसीदास की "रामकथा" विभिन्न भाषाओं में अनुवाद रूप में दृष्टिगोचर होती है। हिंदी के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी भाषा की उन्नति और प्रेरणा के लिए ये पंक्तियाँ प्रकट करते हैं-

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के शूल"

इस तरह भाषा का विकास, देश की भाषाओं से एकता और अखंडता बनाये रखने में सहयोगी होता है। राष्ट्रीय गौरव की भाषा हिंदी है। हिंदी संपर्क भाषा के साथ-साथ मानक भाषा है, राजभाषा है, बोलचाल की भाषा है। हिंदुस्तान का अधिक भूप्रदेश, राज्य, प्रांत की जनता इस भाषा से परिचित है, अवगत है। व्यवहार में संपर्क के रूप में प्रौद्योगिकी, संस्थान, शिक्षा, सेनादल, विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों में इसी भाषा का प्रयोग हो रहा है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा होता है। लोकमान्य तिलक जी का कहना है कि "राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वसामान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई बात नहीं, मेरे विचारों में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है।" काका कालेलकर, जो महाराष्ट्र के थे, उनका कहना था कि "हिंदी एक संगठित करनेवाली शक्ति है, हिंदी का प्रचार कार्य एक महायज्ञ की तरह है।" हर देश में एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा होता है। हिंदी भाषा ही आज विश्वविख्यात है।

भारतीय भाषा परिवार:

भारतीय भाषा परिवार में सैकड़ों भाषाओं का भौगोलिक स्तर पर वर्गीकरण करके भाषा को सीखना, उसका विकास तथा संरक्षण की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सफल है। हिंदी राष्ट्र की वाणी मानी जाती है। कारण- "किसी भी मानव समुदाय, समाज की सभ्यता और संस्कृति का विकास तथा संरक्षण में भाषा का ही महत्वपूर्ण हाथ होता है।" स्वयं भाषा संस्कृति का अंग है। वहां संस्कृति के संरक्षण के सर्वोत्तम संगठन का, ऐतिहासिक घटनाचक्र का, राजनीति संबंधी तथा सामाजिक परिस्थितियों का वृतांत उसकी भाषा द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। अतः किसी भी समाज के समुचित विकास के लिए एक विकसित भाषा नितांत आवश्यक होती है। यही नहीं, जो समाज या देश जितना ही सुसभ्य

होगा, उसकी भाषा उतनी ही परिष्कृत होगी। भाषा ही सर्वोत्तम विकास का मूल मंत्र है।

भारत में सैकड़ों भारतीय भाषाएँ हैं। अनेकता में एकता यही भारत की विशेषता है। विभिन्न प्रांत में, प्रदेश में अलग-अलग संस्कृति, रीति-रिवाज के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं का भी दृष्टांत होता है। "चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी"- यही यहाँ की भौगोलिक बुनियाद है। संविधान के अनुसार और श्री एन. गोपाल स्वामी अयंगार के प्रयासों से अष्टम अनुसूची के तहत हिंदी को "राजभाषा" के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। भारत के भाषा परिवारों के नाम इस तरह हैं- हिंदी (आर्य भाषा परिवार), द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार, चीनी-तिब्बती भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। बाहरी कड़ियों के बावजूद, भारत बहुभाषीय राष्ट्र के रूप में प्रख्यात है। भारत में विभिन्न प्रदेश में रहने वाले मानव के भौगोलिक स्तर पर जीवन विभिन्नता का स्रोत है, जो अपनी भावनाओं को, विचारों को आदान-प्रदान करने के लिए जिस भाषा के साधन का प्रयोग करता है, वह भाषा संस्कृति तथा वहाँ के प्रदेश पर अवलंबित होती है।

भिन्नता हमारे देश की मूल तत्वों में निहित है। भाषा तो संस्कृति की एकता की कड़ी है। जैसे- विभिन्न परिवार से हमारे देश में भाषा का स्वरूप निश्चित हुआ है- द्रविड़, यूनानी, चीनी, भारोपीय। बावजूद इसके हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो एक सर्वेक्षण के मुताबिक स्पष्ट हुआ है कि भारत में अधिक राज्यों में, प्रदेश में हिंदी बोलचाल की भाषा को बढ़ावा देकर हिंदी भाषा ही अधिक लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बोलते भी हैं। इसलिए हिंदी भाषा संपर्क की भाषा के रूप में आज कार्यरत है, साथ ही मानक भाषा के रूप में भी हिंदी भाषा कार्य कर रही है। हिंदी भाषा का महत्व आज साहित्य के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, जनमन के स्तर पर अधिक मात्रा में दिखाई देता है। भारत का सबसे बड़ा भाषा समुदाय हिंदी ही है। अहिंदी प्रदेश के लोगों को भी हिंदी के भजन, फिल्म, गीत, गजल प्रभावित करते हैं।

भाषा की विभिन्नता में एकता स्थापित होती है। भाषा एक ऐसा सेतु है या कड़ी है जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच में एकता का सूत्र सृजन करने की क्षमता रखती है। इसमें एकता के साथ-साथ राष्ट्रीय भाव भी जागृत होते हैं। भारत में 700 से ज्यादा भाषाएं बोली/भाषा के रूप में विद्यमान हैं। अनुसूचित भाषा जो मान्यता प्राप्त हैं, 22 हैं जो इस तरह हैं- असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी,

कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू और हिंदी। भाषा बोलनेवाला प्रदेश बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज भारत की पहचान हिंदी भाषा से विश्व में प्रचलित है।

संस्कृत का उदय वैदिक काल (1500 ई.सवी पूर्व) के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत में बौद्धिक, धार्मिक और दार्शनिक चर्चा की प्रमुख भाषा मानी गई। संस्कृत दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी भाषाओं में से एक है, इसे देववाणी भी कहते हैं। अपनी प्रसिद्ध साहित्य व्याकरणिक परंपराओं के माध्यम से हिंदी, बंगाली और मराठी जैसी कई भारतीय भाषाओं के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दक्षिण भारत में जहाँ संस्कृत का प्रभाव उत्तरी और मध्य क्षेत्र की तुलना से कम था, तमिल जैसी भाषाओं का उत्कर्ष हुआ। तमिल, जो आज भी सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है, कन्नड़, तेलुगू और मलयालम के साथ मिलकर दक्षिण भारत में विशिष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं का निर्माण इन भाषाओं के आधार पर ही हुआ है। इन भाषाओं ने द्रविड़ पहचान को मजबूत करके क्षेत्रीय महत्व बनाए रखा है।

मध्यकाल में हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ। इन भाषाओं में भक्ति साहित्य, कहानी परंपरा और प्रशासन के माध्यम से समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई। भक्ति और सूफी आंदोलन ने स्थानीय भाषाओं का उपयोग करके लोगों के दिल में जगह बनाई, जिससे इन भाषाओं को और मजबूती मिल सकी। भारत की मूल पहचान यही है की विविधता में, अनेकता में एकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गयी, जबकि अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय संचार के लिए अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिससे उनका संरक्षण और विकास संभव हो सके।

शिक्षा क्षेत्र में त्रि-भाषा फार्मूला आज भी कार्यरत है। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को अपनी प्रदेश की भाषा को बढ़ावा देने तथा एकता स्थापित करने के हेतु से त्रि-भाषा सूत्र, जैसे आज के NEP पाठ्यक्रम के अनुसार भी लागू किया गया है। हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रीय

संपर्क की भाषा है और अंग्रेजी वैश्विक संचार के लिए सीखने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि विभिन्न राज्यों में इस नीति का कार्यान्वयन विभिन्न रूप से किया गया है, लेकिन यह संस्कृति का आदान-प्रदान और भाषायी समावेशिता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीयता को बनाए रखने का ही इसमें मूल कारण है। सांस्कृतिक समन्वय की भाषा ही एकता को बढ़ावा देने में समर्थ है।

त्यौहार में, संगीत में, सिनेमा जैसे माध्यम से भाषाओं की पहचान होती है। हिंदी भाषाओं को बढ़ावा देने में यह सिनेमा क्षेत्र, सोशल मीडिया आज बहुत सहयोग दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी में बनी बॉलीवुड फिल्में पूरे भारत में लोकप्रिय हैं, जबकि तमिल, तेलुगू और मलयालम जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में केवल उस प्रदेश तक सीमित न रहकर डबिंग के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर तक पहुंचती हैं। इसके अलावा दिवाली, ईद, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों में विभिन्न समुदायों के साथ भाषा का आदान-प्रदान भी होता है। इससे एकता की भावना का विकास होता है, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा भी मिलता है, इससे एक साथ अन्य भाषाओं का भी विकास हो रहा है।

तकनीकी प्रगति ने भी आज भाषाई विविधता को जोड़ने की अहम भूमिका निभाई है। अनुवाद भाषाओं के संरक्षण में मदद कर रहा है। अनुवाद अहम भूमिका निभाने में आज सक्षम बन गया है। विविध भाषाओं का, संस्कृति, चित्र, रहन-सहन, प्रांत का, प्रदेश का, शिक्षा-दीक्षा का, तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान के लिए यह अनुवाद के रूप में जो भाषा कार्यरत है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई है। गूगल अनुवाद और AI आधारित उपकरण जैसे तकनीकी पहलू, केवल भाषाओं के संरक्षण में मदद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाषाओं की समावेशिता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भाषा के विकास में बहुत सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार संवैधानिक, सांस्कृतिक और तकनीकी प्रयासों के माध्यम से भाषाई विकास आज हम देख रहे हैं। इस भाषा के रूप में तो अपने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस बात में सफल उदाहरण हैं कि हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग संतुलन बनाए रख सकता है। महाराष्ट्र में मराठी का प्रशासनिक क्षेत्र में प्रभुत्व है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को अंतर-राज्य और वैश्विक संचार के लिए सहजता से अपनाया गया है।

आज भाषा परिवार में हम विविधता का स्वरूप देख रहे हैं।

विभिन्न भाषाओं को साथ लेकर हम राष्ट्रीय एकता को प्रबल कर रहे हैं। भाषा की विविधता और वैश्विक विद्वानों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग अनुवाद उपकरण विकसित करने के लिए किया जा सकता है ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्राप्त करने में सुलभता हो सके। संस्कृत एवं हिंदी केवल भाषा ही नहीं संस्कार भी हैं। इसमें भारतीय जन संस्कृति का स्वरूप भी दिखाई देता है। भारत की प्रभावशाली सांस्कृतिक एकता का स्वरूप भी इसमें हमें देखने को मिलता है। आध्यात्मिक एवं भौतिक विचारों के समुदाय तथा सामाजिक प्रथाओं ने भारत को एक आंतरिक एकात्मता दी है जिससे भारतीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण बनी हुई है। भारत के इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाने में हिंदी भाषा का योगदान श्रेष्ठ है।

प्रसाद जी का साहित्य- स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त नाटकों को लिखकर देशप्रेम को बढ़ावा दिया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की कथाएं, रामकथा, भगवतगीता, समाजवादी विशेषण जिसमें वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय, समाज और समानता, राष्ट्रीय एकीकरण, चरित्र निर्माण, नैतिकता, संवेदनशीलता को समृद्ध किया है। भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होते हुए भी वर्तमान में मानक हिंदी का रूप हमारे सामने है। इन सभी क्षेत्रीय बोलियों में भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। यही भाषाई एकता हमें राष्ट्रीय एकता का बोध कराती है। भाषा राष्ट्र और राष्ट्र के निवासियों को एकात्मता से जोड़ती है, इसलिए भाषा ही राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहयोगी हो सकती है। जैसे हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटक में स्वर्णिम अतीत को वर्तमान के लिए प्रेरणादायक बनाया है। प्रसाद की निम्नलिखित पंक्तियाँ गौरवपूर्ण अतीत की याद दिलाती हैं- "यह मधुमय देश हमारा है"।

वर्तमान में प्रेरणा भी देती हैं:

"वही है रक्त वही है देश वही साहस वैसा ही ज्ञान,
वही है शांति वही है शक्ति वही हम दिव्य आर्य संतान।
जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष,
निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष।"

इस तरह हिंदी भाषा में राष्ट्रीयता का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल ने इसे देश प्रेम से जोड़ा है। उन्होंने देश प्रेम का स्वरूप स्पष्ट किया है- "सारा देश अन्य अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन,

पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है? यह प्रेम साहचर्यगत प्रेम है, जिसके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी साथ रहता है।" यही हमारी भाषायी देश प्रेम, भाषा की एकात्मता, हमारी संस्कृति के प्रति गौरव की पहचान है। यही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का भी हिस्सा है।

हजारों वर्षों की भारतीय लोक समाज में रामकथा व्याप्त है। उसको गाने वाले, सुनने वाले विभिन्न भाषा के लोग हैं, विभिन्न प्रांत के हैं, लेकिन रामकथा मूल में भारतीय उच्च संस्कृति का स्वरूप है। इस तरह रामकथा (रामायण) भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आख्यान है। यह देश की भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता का वह आधारभूत सूत्र है जिसने भारतीय लोक मानस को सबसे अधिक प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिषद द्वारा वर्ष 2001 में "रामकथा" को विश्व मानव समुदाय का 'अमृत बोधगम्य संपदा' घोषित किया गया है। रामकथा का विस्तार भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशियाई देशों में हुआ है। हिंदी भाषा के समाज के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत के कला रूपों को मौखिक परंपरा में, जनजातियों में रामकथा आज भी है। यह हमारे देश की भाषा की एकता, राष्ट्रीयता का स्वरूप ही है जो इसमें झलकता है। यही हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने में, यह भाषायी इकाई बहुत बुनियादी कार्य कर रही है। भारत की एकता और अखंडता आज बनी रहने में भाषाओं की अहम भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. विष्णु पुराण
2. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
3. जयशंकर प्रसाद - चंद्रगुप्त
4. हिंदी साहित्य का इतिहास - आचार्य रामचंद्र शुक्ल
5. काव्य संचयन - सं. डा. के. सतीश
6. काव्य वैभव

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.